tract foreign investment are as follows:—

(i) Enlargement of list of high priority industries under automatic route, covering 33 categories/group of indus- tries;

(ii) Foreign direct investment upto 100 percent allowed in most sectors;

(iii) Full repatriability of investment and returns; and

(iv) Simplification of procedures relating to receipt of inward remittances and allotment of shares.

Anomaly in settlement of gratuity

2389. SHRI SURYABHAN PATIL VAHADANE: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Gvernment are aware that certain private sector companies are indulging in violation of rules governing settlement of gratuity dues of their employees;

(b) whether Government are aware that East India Hotels Ltd., 7, Sham Nath Marg, Delhi is indulging in dual policy regarding gratuity settlement, wherein it indulges in discrimination between the executives and the workers;

(c) if so, the action taken/proposed against the company so that it brings uniformity in its laws; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA):
(a) Yes, Sir.

(b) to (d) According to the Government of NCT of Delhi, no claim for gratuity from any employee of M/s. East India Hotels Ltd., Delhi has been received- during the previous year by the Controlling Authority. The Payment of Gratuity Act, 1972 makes no discrimination between the executives and the workers. All the employees employed in coverable establishments including those employed M/s. East India Hotels irrespective of their wages are entitled to gratuity as provided under the Act. As such, the question of taking any action for bringing uniformity in the law does not arise.

बाल श्रमिकों का उत्पीड़न

2390. **श्री ईश दत्त यादव** :

प्रो. रामगोपाल यादव :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल श्रमिकों के संबंध में वर्तमान सरकारी कानूनों को नजरंदाज करते हुए उनके नियोजकों द्वारा उनके शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न की घटनाएं अभी भी हो रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस नियोजकों, जो बंधुआ बाल श्रमिकों के उत्पीड़न में लगे हैं, के विरूद्व कोई कार्रवाई की हैं;

(ग) यदि हां, तो कितने नियोजकों के विरूद्व कार्रवाई की गई हैं तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) पिछले तीन/छः माह के दौरान सरकार ने कितने बोल श्रमिकों को मुक्त कराया हैं अथवा उन्हे उनके परिजनों को सौंपा हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिनियम की अनुसूची के भाग क और ख में शामिल कतिपय व्यवसायों/प्रक्रियाओं में बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्व हैं। अन्य व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन की दशाओं को उक्त अधिनियम के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। किशोर न्याय अधिनियम, 1986 में उपेक्षित या अपचारी किशोरों की देख रेख, संरक्षण, उपचार , विकास और पुनर्वास की व्यवस्था हैं। सरकार का प्रवास बाल श्रम और अन्य संबंधित कानूनों को इस रूप में कार्यान्वित करना हैं जिससे बच्चों का शोषण रोका जा सके।

बंधित श्रम पद्वति, बंधित श्रम पद्वति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 संज्ञेय दंडनी अपराध हैं। बंधित श्रम पद्वति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पहचान करने या पुनर्वास के लिए आयु या लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाता हैं। बंधित बच्चों सहित बंधित श्रमिकों की पहचान की प्रक्रिया और पुनर्वास की रीति बताते हुए दिशा निर्देश जारी करने के लिए श्रम मंत्रालय समय समय पर राज्य सरकारों को